13/03/2020 LL.B. IV Sem

Arbitration, Conciliation and Alternative Disputes Resolution

LL.B. IV Sem

MANEESHA SHARMA
Law Faculty
N.A.S. P.G. College
Meerut

Scanned with CamScanner

प्रश्न-1- माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की प्रमुख विशेषतायें क्या है?

उत्तर:- माध्यमस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की मुख्य 2 विशेषताये -> इस अधिनियम की मुख्य -2 विशेषताये निम्न प्रकार है -

1. अधिनियम के उद्देश्य - माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य "विदेशी माध्यस्थम् पचांतो के प्रवर्तन और राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में देशी माध्यस्थम् से सम्बान्धित विधि को समेकित और संशोधित करना तथा सुलह और उससे सम्बान्धित मामलो के लिए या उसके आनुषंगिक विषयो से सम्बान्धित विधि को परिभाषित करना है।

[i] विदेशी माध्यस्थम् विधि पचांतो को भारत में लागू करना तथा विदेशी माध्यस्थम् पचांतो को भारत में मान्यता देना

[ii] देशी माध्यस्थम् विधि को अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् विधि में सम्मिलित करना तथा उसके लिए यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो देशी माध्यस्थम् विधि में उसके अनुरूप संशोधन करना।

2. माध्यस्थम् तथा सुहल अधिनियम 1996 के पारित होने के कारण - माध्यस्थम् तथा सुलह अधिनियम, 1996 के पारित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है :-

[i] संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग में वर्ष 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यक माध्यस्थम् पर संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग आदर्श विधि को स्वीकार कर लिया था।

[ii] संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग सुलह नियमों (नियमावली) को स्वीकार कर लिया था।

Scanned with CamScanner

3. अधिनियम का संक्षिप्त नाम विस्तार तथा आरम्भ

(Short title extent and commencement of the Act)-

धारा 1 (1) के अनुसार यह अधिनियम माध्यस्थम् तथा सुलह अधिनियम 1996 कहलायेगा।

धारा 1(2) के अनुसार, यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा। अर्थात यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य में लागू होगा। परन्तु इस अधिनियम के भाग एक तीन तथा चार का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में उसी सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक उनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यक सुहल से सम्बन्धित हो।

4. यह अधिनियम एक विस्तृत तथा स्पष्टीकरणात्मक संहिता है - पुराने माध्यस्थम अधिनियम 1940 में अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम के बारे में कोई उपबन्ध नहीं था। पुरानी माध्यस्थम विधि घरेलू माध्यस्थम् तक ही सीमित थी जबकी 1996 का माध्यस्थम् अधिनियम अपने आप में एक सम्पूर्ण विस्तृत संहिता है। इस अधिनियम में प्रथम बार माध्यस्थम् न्यायाधिकरण के बारे में प्राविधान किया जाता है।

5. इस अधिनियम ने न्यायालय की शक्ति को सीमित किया है। इस अधिनियम ने माध्यस्थम् मामलों में न्यायालयों की शक्तियों को इस अधिनियम की सीमाओं के अन्तर्गत सीमित किया है धारा 5 के अनुसार विधि की अन्य शाखाओं के अन्तर्गत अन्तर्निहित प्रावधान के रहते हुए इस अधिनियम के भाग में शासित विषय-वस्तु पर जिसका सम्बन्ध माध्यस्थम से है इस भाग के प्राविधानों के अतिरिक्त कोई न्यायिक अधिकरण हस्तक्षेप नहीं अधिनियम हस्तक्षेप अन्तिमता के बारे में है।

6. इस अधिनियम में मध्यस्थम् तथा पंचात के लिए विस्तृत प्रक्रिया दी गई - इस अधिनियम के भाग 5 में मध्यस्थम प्रक्रिया को संचालित करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया का प्राविधान किया जाता है। धारा 18 में प्रथम बार पक्षकारों के साथ समान व्यवहार का प्राविधान किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत माध्यस्थम् के पक्षकार व्यक्तियों को समान मानते हुए यह व्यवस्था की गई है कि इनको अपने मामले लिए समान तथा पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है।

Scanned with CamScanner

7. न्यायालय के अधिकार का संक्षिप्त तथा स्पष्ट वर्णन - कोई भी न्यायिक अधिकरण इस धारा 5 के प्राविधानों के अतिरिक्त हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धारा 42 न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा को निश्चित करते हुये कहती है कि जहाँ एक माध्यस्थम करार के लिए इस माध्यनियम के भाग 1 के अन्तर्गत आवेदन न्यायालय में किया गया हो।

8. माध्यस्थों के अधिकारों में वृद्धि 1940 के पुराने माध्यस्थम अधिनियम की अपेक्षा 1996 के नवीन माध्यस्थम माध्यनियम के अन्तर्गत माध्यस्थों को माध्यकरण के मन्तर्गत माध्यस्थों को अधिकरण दिये गये। धारा 16 तथा 17 के प्राविधानों में दो अधिकार के सम्बन्ध में अधिक वृद्धि की जाती है। धारा 17 के अनुसार - एक पक्षकार के आवेदन करने पर विवाद की विषय-वस्तु की सुरक्षा के लिए उपाय करने हेतु उपाय करने के अन्तरिम आदेश एक पक्षकार से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह विषय-वस्तु की सुरक्षा के उपाय के सम्बन्ध में कोई जमानत दे।

1. इस अधिनियम ने सुलह नामक एक नयी धारणा को जन्म दिया है - इस अधिनियम के भाग तीन में यह प्राविधान किया गया है कि लम्बित विवाद या सम्भावित विवाद से सुलह की प्रक्रिया की सुरुआत की जा सकती है। यदि दुसरा पक्षकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो विवाद को सुलहकर्ता को सौंपा जा सकता है। सुलहकर्ता की संख्या सामान्य एक होगी परन्तु पक्षकारों की सहमति के आधार पर सुलहकर्ता की संख्या दो या तीन हो सकती है।

Scanned with CamScanner